राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या 15/2018 कैम्प कोर्ट रेवराट

1 मगनसिंह डिडेल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तह. जायल

..............वादी

बनाम

1 मंगीलाल पुत्र रावतराम, जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द, तहसील जायल, जिला नागौर

2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

.... **प्रतिवादीगण**

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन
अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1. वादी की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट।

:: निर्णय ::

दिनांक 03.05.18

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में पिता पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमियां मौजा डिडिया खुर्द तहसील जायल में खसरा नं. 159 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 373 रकबा 12.03 बीघा व खसरा नं. 437 रकबा 15.05 बीघा कुल रकबा 33.07 बीघा आई हुई है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हिस्सा है। लेकिन कर्ता खानदान होने से राजकीय रेकर्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम आ गया है। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश है। संवत् 2065 में पक्षकारान अपनी भूमियो का विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा नं. 437 रकबा 15.05 बीघा वादी के बंट में रखा है। तथा मौजा डिडिया खुर्द, तहसील जायल के खेत खसरा नं. 159 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 373 रकबा 12.03 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के बंट में रखे है। लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड में नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने तथा जवाब के लिए अवसर देने के बाद भी जवाब पेश

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

नही करने से से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी मगनसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के शपथ पत्र पेश किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल खतौनी संवत 2069 से 72 प्रदर्श 1 तथा नकल खतोनी संवत 2065 से 68 प्रदर्श 2 पेश की गई।

बहस वकील वादी की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। मेरे द्धारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्र तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमियां पक्षकारो की सह खातेदारी की है तथा रेकर्ड मे अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम है तथा वादी तथा इसमें सह खतेदार होने का अधिकारी है। तथा क्या घरेलू तोर पर पक्षकारों ने इसका विभाजन कर लिया है तथा उसी अनुसार विभाजन की डिकी प्राप्त करने के हकदार है। हमने वादी के वाद तथा प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे वादी के वाद की पूर्णतया ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्धारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1 वादग्रस्त भूमि मौजा डिडिया खुर्द तहसील जायल में खसरा नं. 159 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 373 रकबा 12.03 बीघा व खसरा नं. 437 रकबा 15.05 बीघा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की घोषित की जाती है।

2 इसका विभाजन पक्षकारों के बीच करते हुऐ उपरोक्त भूमि मौजा डिडिया खुर्द का खेत खसरा न 437 रकबा 15.05 बीघा वादी के बंट का तथा मौजा डिडिया खुर्द, तहसील जायल के खेत खसरा नं. 159 रकबा 5.19 बीघा, खसरा नं. 373 रकबा 12.03 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल के बंट कब्जा कास्त व खातेदारी की घोषित की जाती है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। इसी माफिक डिकी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner